

उत्तराखण्ड शासन  
सिंचाई अनुभाग-02  
संख्या : — / 11(2)-2019-04(11)/2010  
देहरादून: दिनांक, 28 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

एतद्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के अध्याय-2 के खण्ड 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सौंग बांध पेयजल परियोजना के कार्यों हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (Social Impact Assessment study) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

संख्या : 1502 / 11(2)-2019-04(11)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा० सिंचाई मंत्री जी, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल।
7. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(ब्योमकेश दूबे)  
अनु सचिव।